राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS/मार्च / १५४८५ — दिनांक 27/03/24

समस्त
विभागाध्यक्ष।

विषयः– माह मार्च 2024 (देय माह अप्रैल) के संवेतन बिलों के संदर्भ में दिशा–निर्देश।

महोदय,

माह मार्च 2024 (देय माह अप्रैल 2024) के संवेतन बिल आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर तैयार किए जाकर समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के लॉगिन में दिनांक 22.03.2024 से प्रदर्शित होगें। इस पर निम्न कार्यवाही अपेक्षित है :–

1. संवेतन बिल लेखानुदान वर्ष 2024–25 में उपलब्ध बजट मदों से मैप कर बनाये जायेगें। विभाग द्वारा नवीन / परिवर्तित मदों में कार्यालयवार पद आवंटन / अन्य बजट नियंत्रण अधिकारियों को बजट आवंटन इत्यादि की आवश्यकताओं की पूर्ति आई.एफ.एम.एस. पर किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा डीडीओं को संवेतन बिलों में डेटा उपलब्ध नहीं होगा।

2. सिस्टम जनरेटेड संवेतन बिलों में बजट मदों / मांग संख्या / कार्मिकों के वेतन इत्यादि की जांच आहरण आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर की जाकर OTP आधारित लॉगिन से दिनांक 01 अप्रैल 2024 को बिल सम्बद्ध कोष को फॉरवर्ड किए जा सकेगें।

3. सभी संवेतन बिलों में अनुमोदित डी.ए. के प्रदर्शित प्रभाव को भी जांच कर लिया जाना अपेक्षित है। साथ ही आयकर की देयता का प्रोजेक्शन / गणना भी ITMS से ली जाकर प्रदर्शित की जायेगी जिसकी जांच भी अपेक्षित है, प्रारम्भ में यह मात्र सूचनात्मक होगी। भिन्नता होने पर RISL को अवगत करवाया जा सकेगा।

4. कार्मिकों के स्थानान्तरण के प्रकरणों में आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर ज्वाइनिंग / रिलीविंग / Additional charge की प्रक्रियायें पूर्ण की जाये।

5. पूर्व के माहों के संवेतन बिल डी.ए. एरियर / सैलेरी एरियर के बिल भी 01 अप्रैल 2024 से समस्त प्रकरणों में आई.एफ.एम.एस. 3.0 से ही बनाये जाने सुनिश्चित किए जाये।

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- jdb-ta-rj@nic.in
Fax - 2742360, Tel- 0141-2743752

6. आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा का वेरीफिकेशन कार्यालयाध्यक्ष व आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित कर लिया जाये।

7. विभागाध्यक्ष स्तर पर आई.एफ.एम.एस. 3.0 से ही कार्यालयाध्यक्ष व आहरण वितरण अधिकारी के D aration किए जाने सुनिश्चित किए जाये। Additional charge के Option भी HOD login में दिए गए है।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय

(नरेश कुमार ठकराल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

अति–आवश्यक

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

कमाक एफ 22( )लेखा / प्रमुवस / ई–पेंशन / 2023–24 / 11113-238 दिनांक 28/03/2024

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. समस्त वनाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. कम्प्यूटर शाखा को प्रेषित कर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

(निधि मेहता)
वित्तीय सलाहकार
वन विभाग
राजस्थान, जयपुर

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - fd.rajasthan.gov.in
e-mail Id- jdb-fd-rj@nic.in
Fax - 2742309, Tel- 0141-2743752